न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2024/146

01. बंशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट उम्र 64 वर्ष साकिन भोजरासर हाल चक 38 के.वाई. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादिया

बनाम

01. अधिशांषी अभियन्ता सार्वजनिक निमार्ण विभाग वृत द्वितिय बीकानेर।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)खाजूवाला ।

....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–07.01.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया शांतिप्रिय काश्तकार पेशा महिला है, जो अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है और यही एकमात्र जिविकोपार्जन का साधन है। वादीया ने हरीराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण से उसकी खातेदारी भूमि विधिवत दिनांक 25.10.1989 को चक 38 के.वाई.डी. के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 16 ता 20, 21 ता 25 प्रत्येक में 10–10 बिस्वा कुल तादादी 07.10 बीघा कमाण्ड भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी जिसका रिकॉर्ड में इन्तकाल सं. 41 दिनांक 16.09.1993 से दर्ज हो गया और इन्तकाल सं. 152 दिनांक 18. 02.2009 से उक्त समस्त भूमि रहन दर्ज हो गई। जिसपर वादीया खरीद से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती के लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादिया के उपयोग–उपभोग में है। वर्तमान में हरे चारे एवं सरसों की खेती कर रखी है। वादीया को वरवक्त खरीद 7.10 बीघा का कब्जा दिया गया एवं वादीया निरन्तर उसी पर काबिज काश्त है तथा आवंटी हरिराम को कुल 16 ता 25 तादादी 10.00 बीघा भूमि आवंटन होकर इन्तकाल सं. 40 दिनांक 16.07.93 को खातेदार दर्ज हुई जबकि खातेदारी सनद दिनांक 18. 02.1989 से जारी हो चुकी थी जिसमें दिनांक 18.12.1987 को भूमि आवाप्ति अधिकारी ने सड़क निमार्ण के लिए मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि आवाप्त कर रिकॉर्ड में कटान के आदेश दिए जिस पर हरीराम की खातेदारी में 2.10 बीघा कम कर दर्ज कर दी और उसी मुताबिक मौके पर सड़क बनी जो वादिया के खरीद से पूर्व बनी हुई थी। हरीराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण बेचान बाद इधर कभी नहीं आया 30–32 वर्षों में उसका कोई लेना देना नहीं रहा जानकारी की तो पता चला वर्तमान में फौत हो चुका है, चूंकि उसने अपनी भूमि बेचान कर दी शेष रकबा 2.10 बीघा सड़क में कटान हो गया तो केवल मात्र वादिया ही रही जिसे सुना जाना न्यायसंगत है। मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा पहले से कटान रास्ता रिकार्ड में था और आदेश दिनांक 18.12.87 की पालना में 06–06 बिस्वा कटान और करना था वो भी हरीराम के खाते से चूंकि वादीया ने 10–10 बिस्वा रास्ता भूमि छोड़ कर शेष रकबा 07.10 बीघा खरीद किया था। हरीराम ने 2.10 बीघा भूमि रास्ता के लिए छोड़ दी थी लेकिन प्रतिवादी सं. 2 ने सहवन से इन्तकाल 136 दिनांक 31.07.2006 से वादिया के खाते से 06–06 बिस्वा भूमि कटान कर दी और उसके खाते में केवल 06.00 बीघा ही दर्ज रही 01.10 बीघा और कम कर दी जबकि उक्त भूमि हरिराम पुत्र झींटाराम के खाते से कटान करनी थी जो आज भी उसके खाते में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड के साधारण के वक्त सहवन से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भूल से भूमि पुनः हरीराम के नाम कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.06–0.06 बिस्वा कुल 1.10 बिघा खाता सं. 88 सम्मत 2071 से 2074 में दर्ज कर दी जबकि उसका उक्त भूमि बाबत् कोई हक एवं अधिकार नहीं था। वादिया आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और मौके पर उक्त भूमि सड़क से बाहर है। केवल कि.नं. 21 ता 25 में 10–10 बिस्वा भूमि सड़क में आई है। बाकि 01. 10 बीघा सड़क से बाहर है और वादिया के कब्जा काश्त में है। वादिया उक्त रोंगफुल प्रविष्टि को जरिये घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती से हरिराम पुत्र झींटाराम के खाता सं. 88 से नाम हटवाकर 01.10 बीघा भूमि को पुनः अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। वादिया अनपढ़ वृद्ध महिमा है तथा ज्ञान का अभाव रहा है। जानकारी में आते ही दिनांक 08.06.22 को प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रार्थना पत्र दिया जिसमें लम्बे अरसे बाद दिनांक 20.10.24 को बताया गया की उक्त त्रुटी सरसरी कार्यवाही से दुरूस्त नहीं होगी तुम्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी होगी तब जानकारी कर कानूनी राय लेकर वाद पेश किया जा रहा है ताकि न्याय मिल सके। दिनांक 20.10.24024 की घटना से वादिया की शांतिप्रिय कब्जा काश्त पर आक्रमण हुआ है और यही घटना से वादिया को वाद–हैतुक प्राप्त हुआ है। मामला आवश्यक प्रकृति का है। प्रतिवादी ने स्पष्ट बेदखली की धमकी दी है। यदि वादिया दो माह का नोटिस देने का इन्तजार करेगी तो वाद का मकसद ही खत्म हो जाएगा इसलिए वादिया दो माह का नोटिस की छूट के साथ वाद पेश करने की अनुमति चाहती है। धारा 80(2) कर प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वाद पत्र

पूर्ण कोर्ट फीस एवं न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः वाद वादिया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेंः– इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादिया की कब्जेकाश्त खरीद शुदा भूमि चक 38 के.वाई.डी. के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से हरीराम पुत्र झींटाराम के खाता में खाता सं. 88 सम्मत 2071–74 से दर्ज कर दी को घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती हटाकर वादिया के नाम पुनः इन्तकाल सं. 41 दिनांक 16.09.1993 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम वादिया की भूमि गैरमुमकिन सड़क दर्ज होकर कम की गई है जो दुरूस्त हो सके। अन्य जो भी दादरसी न्यायालय को उचित समझे वादीया के पक्ष में प्रदान की जावे।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादिया ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में इन्तकाल, खातेदारी, जमाबन्दी, जनआधार, बैंक केसीसी, पास बुक, चक नक्शा, बैयनामा, तहसीलदार रिपोर्ट एवं पुख्ता आंवटी पत्रावली इत्यादि की प्रति प्रस्तुत किया। तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ऑनलाईन जमाबन्दी अनुसार चक 38 केवाईडी के मु.नं. 180/24 के कि.नं. 16 ता 25 में कुल 1.5175 है0 कमाण्ड भूमि बंशीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट सा. भोजरासर खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नामान्तरण सं0 40 दिनांक 16.09.1993 से जरिये बैयनामा के अनुसार प्रार्थीया बंशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट खातेदार के नाम मु0नं0 180/24 किला नं0 16 ता 25 में कुल 07.10 बीघा दर्ज है। इंतकाल सं0 40 दिनांक 16.09.93 से मु0नं0 180/24 के किला नं0 16 ता 25 कुल 09.00 बीघा कमाण्ड हरिराम पुत्र झीटाराम जाति ब्राह्मण खातेदार दर्ज हुआ। तहसीलदार खाजूवाला के आदेश क्रमांक/632 दिनांक 30.06.2006 एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम बीकानेर के पत्रांक/139 दिनांक 24.03.2004 के मुताबिक मु0नं0 180/24 हरिराम पुत्र झींटाराम ब्राह्मण के खाते में से पीडब्ल्युडी के नाम किला नं0 21 ता 25 में 02.10 बीघा कटान करना था जिसमें से प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 में 04–04 बिस्वा रास्ता पूर्व से ही कटान का था। अतः प्रत्येक किला नं0 21 ता 25 में 06–06 बिस्वा कुल 01.10 बीघा का ओर कटान (रास्ते हेतु) पीडब्ल्युडी के नाम करना था। नामान्तरण सं0 136 दिनांक 31.07.2006 दर्ज करते समय किला नं0 21 ता 25 में कुल 01.10 बीघा भूमि हरिराम पुत्र झींटाराम के खाते में से कटान करने के बजाय सहवन से बंशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट के खाते में से मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 में कुल 01.10 बीघा कटान हो गई जबकि हरिराम पुत्र झींटाराम जाति ब्राह्मण के नाम खाता सं0 98 में मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 में 01.10 बीघा अभी तक दर्ज है। अतः उपरोक्त वर्णित रकबा बंशीदेवी पत्नी भंवरलाल के रकबे में से कटान के बजाय हरिराम पुत्र झींटाराम के रकबे में से कटान किया जाता है तो प्रार्थीया का उसके क्रय की गई 01.10 बीघा भूमि वापिस मिल सकती है जो किया जाना उचित है।

पत्रावली पर सुना गया। वादिया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीया का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथपत्र के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 38 केवाईडी के खाता सं0 98 मु0नं0 180/24 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 06–06 बिस्वा कुल तादादी 01.10 बीघा(0.3795 है0) भूमि हरीराम पुत्र झींटाराम जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम से हटाकर, वादिया बंशीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी भोजरासर हाल चक 38 केवाईडी तहः खाजूवाला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के दुरूस्ती आदेश किये जाते है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादिया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)